न्यायालय– सचिव–सह–रिविजन प्राधिकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना

रिविजन वाद संख्या–वन मु०(री०)–01/2024

सुरेश पासवान बनाम बिहार राज्य एवं अन्य

आदेश

यह रिविजनवाद सुरेश पासवान, पिता–रामायण पासवान, ग्राम–सबर, थाना–करमाचट, जिला–कैमूर, भभुआ द्वारा वाद संख्या–07/2020 (17/2023) में जिला दण्डाधिकारी, बक्सर के अपीलीय न्यायालय से दिनांक–07.07.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

वाद का संक्षिप्त विवरण यह है कि दिनांक–03.04.2018 भारत बंद होने के कारण ट्रक संख्या–UP62T-1253 (केन्दुपत्ती से लोड) यादव मोड़ पेट्रोल पंप के अन्दर खड़ी थी, जहाँ से पुलिस बल द्वारा अपने गश्ती के दौरान गाड़ी पकड़कर जप्त किया गया और चौसा थाना लाया गया। महेश पासवान, वनपाल द्वारा बताया गया कि केन्दुपत्ती के बोरे ट्रक पर लोड पाये गये तथा उस ट्रक पर लदे केन्दुपत्ती का परिवहन अनुज्ञा पत्र नहीं था जिसके कारण उक्त केन्दुपत्ता के ट्रक को जप्त किया गया एवं उसकी जप्ती सूची की सूचना माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बक्सर को दी गयी। उक्त आशय की सूचना वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, बक्सर को दी गयी।

भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन, 1989) की धारा–33, 41, 42 के उल्लंघन का मामला पाते हुए महेश पासवान, वनपाल, बक्सर के द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 (बिहार संशोधन, 1989) की धारा 52 के तहत उक्त ट्रक एवं उसपर लदे केन्दू पत्ता की जप्ती की कार्रवाई की गयी। इस जप्ती से संबंधि प्रतिवेदन मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बक्सर को दी गयी।

महेश पासवान, वनपाल, बक्सर के अपराध प्रतिवेदन एवं जप्ति सूची दिनांक–03.04.2018 से संतुष्ट होकर प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी भोजपुर वन प्रमंडल, आरा के अधिहरण न्यायालय में अधिहरण

वाद सं0–02/2018: सरकार बनाम सुरेश पासवान की कार्यवाही संचालित की गई। अधिहरण वाद की कार्यवाही में सुनवाई पूरी करते हुए प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर वन प्रमंडल, आरा द्वारा दिनांक–26.12.2018 को भारतीय वन (बिहार संशोधन अधिनियम–1989) अधिनयम 1927 की धारा– 33, 41, 42 के उल्लंघन (केन्दुपत्ता के अवैध ढ़ंग से संग्रहण एवं परिवहन) का आरोप सिद्ध होने पर भारतीय वन (बिहार संशोधन) अधिनियम–1989 की धारा 52(3) के अंतर्गत ट्रक संख्या–UP62T-1253 एवं उस पर लदे केन्दुपत्ती को राज्य सरकार के पक्ष में सभी अधिभार से मुक्त राज्यसात करने का आदेश पारित किया गया।

दिनांक–26.12.2018 को प्राधिकृत पदाधिकारी –सह– वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर वन प्रमंडल, आरा द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुरेश पासवान द्वारा जिला दण्डाधिकारी, बक्सर के अपीलीय न्यायालय में वाद सं0–07/2020 (17/2023) दायर किया गया। उक्त वाद में जिला दण्डाधिकारी, बक्सर द्वारा दिनांक–07.07.2023 को आदेश पारित करते हुए वाद (अपील) को अस्वीकृत किया गया।

जिला दण्डाधिकारी, बक्सर द्वारा दिनांक–07.07.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध सुरेश पासवान, पिता–रामायण पासवान, ग्राम–सबर, थाना–करमाचट, जिला–कैमूर, भभुआ द्वारा सचिव–सह–रिविजनल प्राधिकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के रिविजन न्यायालय में रिविजन याचिका दायर की गयी, जिसके आधार पर रिविजन वाद सं0–01/2024: सुरेश पासवान, कैमूर बनाम बिहार राज्य एवं अन्य की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

रिविजनकर्त्ता द्वारा दाखिल रिविजन याचिका, अपीलीय प्राधिकार–सह–जिला दण्डाधिकारी, बक्सर के अपीलीय न्यायालय द्वारा वाद सं0– 07/2020 (17/2023) में दिनांक–07.07.2023 को पारित आदेश, प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर वन प्रमंडल, आरा द्वारा राज्यसात वाद सं0–02/2018: बिहार सरकार बनाम सुरेश पासवान में दिनांक–26.12.2018 को पारित आदेश, प्रतिवादी द्वारा दाखिल लिखित

प्रतिउत्तर, उभय पक्षों द्वारा दाखिल कागजात एवं दोनों पक्षों के बहस से निम्नलिखित बिन्दु स्पष्ट होते हैं:—

1. रिविजनकर्त्ता का वाहन वन पदार्थ (111 बोटा केन्दू पत्ती) का अवैध परिवहन करने के क्रम में पकड़ा गया।

2. पकड़े जाने के समय उक्त वन पदार्थ के परिवहन हेतु कोई वैध परिवहन अनुज्ञा—पत्र वाहन में नहीं था।

3. रिविजनकर्त्ता द्वारा कोई ऐसा नया साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे जिला दण्डाधिकारी, बक्सर के अपीलीय न्यायालय से दिनांक—07.07.2023 में हस्तक्षेप किया जा सके।

वर्णित तथ्यों एवं परिस्थिति के आलोक में रिविजनकर्त्ता के रिविजन याचिका को खारिज किया जाता है।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाय।

ह0/—
04.04.2025
(बन्दना प्रेयषी)
सचिव—सह—रिविजनल प्राधिकार

लेखापीत एवं संशोधित

ह0/—
(बन्दना प्रेयषी)

ज्ञापांकः वन मु०(री०)—01/2024 ..../प०व०ज०प० पटना—15, दिनांक...............

प्रतिलिपिः— सुरेश पासवान, पिता— रामायण पासवान, ग्राम—सबर, थाना—करमाचट, जिला—कैमूर, भभूआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

ज्ञापांकः वन मु०(री०)—01/2024 ..../प०व०ज०प० पटना—15, दिनांक...............

प्रतिलिपि :— जिला दण्डाधिकारी, बक्सर/वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर वन प्रमंडल, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

ज्ञापांकः वन मु०(री०)–01 / 2024 ..1639../प०व०ज०प० पटना–15, दिनांक 08/4/25

प्रतिलिपि :– विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/4/25

(मोख्तारूल हक)

परामर्शी